दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दिविप्रा) के संज्ञान में यह आया है कि अज्ञात धोखेबाज़ व्यक्तियों द्वारा द्वारका और रोहिणी में स्थित संपत्तियों से संबंधित जाली और धोखाधड़ी वाले हस्तांतरण विलेख प्रसारित या प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

आम जनता को एतदद्वारा सचेत किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे उचित सत्यापन के बिना ऐसे किसी भी दस्तावेज़ पर भरोसा न करें। ये जाली हस्तांतरण विलेख दिविप्रा द्वारा जारी या प्रमाणित नहीं किए गए हैं और न ही इनकी कोई कानूनी वैधता है।

सभी संभावित खरीददारों, विक्रेताओं, संपत्ति एजेंटों, और आम जनता को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में संपत्तियों से संबंधित किसी भी प्रकार का लेनदेन करने से पहले उचित सावधानी बरतें। इसमें निम्न बातें शामिल हैं:

- **दिविप्रा द्वारा प्लॉट आवंटन के** समर्थन में दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता की जाँच करके स्वामित्व और स्वामित्व विवरण का सत्यापन करना, **दिविप्रा द्वारा जारी मांग पत्र, प्लॉट के प्रीमियम के भुगतान के समर्थन में वाउचर, कब्ज़ा पत्र, पट्टा विलेख और हस्तांतरण विलेख, साथ ही प्लॉट के आबंटी से लेकर वर्तमान मालिक तक के दस्तावेज़ों की चेन** की जांच करना।
- स्वामित्व या बिक्री का अधिकार रखने वाले व्यक्तियों की प्रमाणिकता और विधिवत दस्तावेज़ीकरण सुनिश्चित करना
- किसी भी समझौते को निष्पादित करने या वित्तीय प्रतिबद्धता करने से पहले आवश्यक कानूनी सलाह लेना

यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसे व्यक्तियों द्वारा संदिग्ध दस्तावेजों के साथ संपर्क किया गया हो या उनके पास ऐसी धोखाधड़ी वाली गतिविधि के संबंध में कोई जानकारी हो तो वे तुरंत अपने निकटतम पुलिस स्टेशन और दिविप्रा सतर्कता विभाग को सूचित करें।

दिविप्रा द्वारा यह सूचना धोखाधड़ी को रोकने और वैध संपत्ति मालिकों एवं खरीददारों के अधिकारों की संरक्षा के लिए जनहित में जारी की जाती है।

ddaofficial official_dda official_dda_ पर हमें फॉलो करें

"कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.gov.in देखें या टॉल फ्री नं. 1800110332 डायल करें"

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दिविप्रा) के संज्ञान में यह आया है कि अज्ञात धोखेबाज़ व्यक्तियों द्वारा द्वारका और रोहिणी में स्थित संपत्तियों से संबंधित जाली और धोखाधड़ी वाले हस्तांतरण विलेख प्रसारित या प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

आम जनता को एतदद्वारा सचेत किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे उचित सत्यापन के बिना ऐसे किसी भी दस्तावेज़ पर भरोसा न करें। ये जाली हस्तांतरण विलेख दिविप्रा द्वारा जारी या प्रमाणित नहीं किए गए हैं और न ही इनकी कोई कानूनी वैधता है।

सभी संभावित खरीददारों, विक्रेताओं, संपत्ति एजेंटों, और आम जनता को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में संपत्तियों से संबंधित किसी भी प्रकार का लेनदेन करने से पहले उचित सावधानी बरतें। इसमें निम्न बातें शामिल हैं:

- **दिविप्रा द्वारा प्लॉट आवंटन के** समर्थन में दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता की जाँच करके स्वामित्व और स्वामित्व विवरण का सत्यापन करना, **दिविप्रा द्वारा जारी मांग पत्र, प्लॉट के प्रीमियम के भुगतान के समर्थन में वाउचर, कब्ज़ा पत्र, पट्टा विलेख और हस्तांतरण विलेख, साथ ही प्लॉट के आबंटी से लेकर वर्तमान मालिक तक के दस्तावेज़ों की चेन** की जांच करना।
- स्वामित्व या बिक्री का अधिकार रखने वाले व्यक्तियों की प्रमाणिकता और विधिवत दस्तावेज़ीकरण सुनिश्चित करना
- किसी भी समझौते को निष्पादित करने या वित्तीय प्रतिबद्धता करने से पहले आवश्यक कानूनी सलाह लेना

यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसे व्यक्तियों द्वारा संदिग्ध दस्तावेजों के साथ संपर्क किया गया हो या उनके पास ऐसी धोखाधड़ी वाली गतिविधि के संबंध में कोई जानकारी हो तो वे तुरंत अपने निकटतम पुलिस स्टेशन और दिविप्रा सतर्कता विभाग को सूचित करें।

दिविप्रा द्वारा यह सूचना धोखाधड़ी को रोकने और वैध संपत्ति मालिकों एवं खरीददारों के अधिकारों की संरक्षा के लिए जनहित में जारी की जाती है।